भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3171

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

कोयले का आयात

3171. श्री राजेश रंजनः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियां कोयले का आयात कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के कोयले का आयात किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि आयातित कोयले विशेषकर एन्थ्रेसाइट, सब-बिटुमिनस और लिग्नाइट कोयले का ऊष्मीय मान कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ निजी कंपनियां घटिया गुणवत्ता वाले कोयले का आयात कर इसे सरकार अथवा सरकारी उपक्रमों/कंपनियों को ऊंचे मूल्य पर बेच रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने घटिया गुणवत्ता वाले कोयले के आयात को रोकने के लिए किन्हीं मानक नयाचार अथवा विनियामक निकायों की स्थापना की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित कोयले की मात्रा और मूल्य का विवरण निम्नानुसार हैं –

(मात्रा मिलियन टन में और मूल्य करोड़ रुपए में)						
वर्ष	कोकिंग कोयला		नॉन-कोकिंग कोयला		कुल कोयला	
	मात्रा	मूल्य रु.	मात्रा	मूल्य रु.	मात्रा	मूल्य रु.
2021-22	57.12	102790.83	151.50	125993.289	208.63	228784.12
2022-23	56.05	153839.97	181.62	229744.40	237.67	383584.38
2023-24	58.81	133000.36	205.72	177215.09	264.53	310215.45

इसके अलावा, कुछ राज्य उत्पादन कंपनियों (जेनको) और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को सितंबर, 22 से जनवरी, 23 की अवधि के दौरान विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के दिनांक 28.04.2022 के अधिदेश और कोयला मंत्रालय (एमओसी) के दिनांक 31.05.2022 के निदेश के तहत सीआईएल द्वारा आयातित कोयले की आपूर्ति की गई थी, जिसका कंपनी-वार विवरण निम्नानुसार है:

(मात्रा टन में; मूल्य करोड़ में)

क्र.सं.	कोयला आयातक का नाम	श्रेणी	खरीदे गए आयातित कोयले की मात्रा	मौद्रिक मूल्य
1	केएसके महानदी	निजी	93,253.03	127.49
2	जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड	निजी	43,276.20	62.29
3	रतनइंडिया पावर	निजी	11,590.86	14.65
4	साई वर्धा	निजी	22,422.22	30.99
5	तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सार्वजनिक	69,907.00	100.59
6	लैंको अमरकंटक	निजी	10,408.69	14.42
7	कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सार्वजनिक	32,367.86	41.92
8	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर	निजी	38,341.90	53.45
9	आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड	निजी	30,916.52	47.68

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) की एक सहायक कंपनी एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड (एनटीपीएल) तूतीकोरिन, तमिलनाडु में 2x500 मे.वा. ताप विद्युत स्टेशन का प्रचालन करती है। यह वर्तमान में आयातित कोयले की खरीद कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएलसीआईएल द्वारा आयातित कोयले का ब्यौरा निम्नानुसार है -

क्र.सं.	अवधि	मि.ट. में मात्रा	किलो कैलोरी/किग्रा में जीसीवी	भारतीय रूपए में राशि (करोड़)
1	2022-23	6,61,493	5800 एआरबी	918.46
2	2023-24	3,65,896	5800 एआरबी	290.88
3	2024-25	8,26,440	5800 एआरबी	788.41

एनटीपीसी ने सूचित किया है कि आयातित कोयले का औसत जीसीवी 5000 किलो कैलोरी/किग्रा है। एनटीपीसी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से आयातित स्टीम कोयले के लिए तटस्थ-देश- संविदाएं प्रस्तुत की हैं। आपूर्तिकर्ता संविदाओं में स्पष्ट विनिर्देशन के अनुसार भारत के बाहर से कोयला प्राप्त करता है, तथापि, अधिकांश कोयले की आपूर्ति इंडोनेशिया से और कुछ कोयले की आपूर्ति आस्ट्रेलिया से की जा रही है।

(ग) : चूंकि कोयले को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए देश में आयातित कोयले की भू-वैज्ञानिक विशेषताओं (एन्थ्रेसाइट, सब-बिटुमिनस और लिग्नाइट आदि) की जानकारी नहीं है। जहां तक कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा उपयुक्त आयातित कोयले का संबंध है, विक्रेता के पास दिए गए क्रय आदेश में निम्नलिखित गुणवत्ता विनिर्देशों का उल्लेख किया गया है -

मापदंड	ईकाई	निर्दिष्ट श्रेणी
कुल नमी (एआरबी) + राख (एडीबी)	%	40% तक
सकल कैलोरी मान (एआरबी)	किलो कैलोरी/किग्रा	4700 से कम नहीं
सल्फर (एडीबी)	%	अधिकतम 1.00% तक
आकार	मि.मी.	50 मिमी तक तथापि, 236 मिमी से कम आकार वाले कोयले की मात्रा विद्युत संयंत्र में प्राप्त मात्रा के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए
फिक्स्ड कार्बन (एडीबी)	%	30-50% विशिष्ट
वाष्पशील पदार्थ (एडीबी)	%	25%-45%
एचजीआई	-	45-60
यूनीकरण वायुमंडल अंतर्गत आईडीटी	डिग्री सेंटीग्रेड	1100 न्यूनतम
बाहय सामग्री	मि.ट.	शून्य

एनटीपीएल केवल 30.70 के अनुपात में 3250 किलो कैलोरी/किग्रा जीसीसीवी के निम्न घरेलू कोयले के साथ मिश्रण प्रयोजनों के लिए 5800 किलो कैलोरी/किग्रा वाले एचजीवी आयात कोयले की खरीद कर रहा है।

(घ) : वर्तमान आयात नीति के अनुसार कोयले को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत रखा जाता है और उपभोक्ता लागू शुल्कों का भुगतान करके अपने संविदागत मूल्यों के अनुसार अपनी पसंद के स्रोत से कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। पक्षकारों के बीच आयातित ईंधन आपूर्ति संविदा और इसके निष्पादन में कोयला मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है।

(ङ) और (च) : उपर्युक्त (घ) को ध्यान में देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

****